न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, बाह्य न्यायालय बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर।
उपस्थितः– सत्य प्रकाश आर्य (एच०जे०एस०)

सत्र परीक्षण संख्या––––792/2021
सी०एन०आर०नं०–UPSD070000072021

राज्य बनाम 1. संजय उर्फ भेल्लर पुत्र लडड्न
निवासी ग्राम खजुरिया, थाना सिद्धार्थनगर,
जनपद सिद्धार्थनगर।
मु०अ०सं०–46/2021
अन्तर्गत धारा–307 भा.दं.सं. व आयुध
अधिनियम की धारा–3/25
थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर।

राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक):–श्री ईश्वर चन्द्र दूबे
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता:–श्री सचिन त्रिपाठी (एडवोकेट)

निर्णय

01. प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या–792/2021, मु०अ०सं०–46/2021, धारा–307 भा.दं.सं. व आयुध अधिनियम की धारा–3/25, अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. उपरोक्त सत्र परीक्षण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक–08.06.2021 को सत्र सुपुर्द किये जाने के उपरान्त जिला जज महोदय द्वारा अन्तरण के बाद प्राप्त हुआ।

घटना की तिथि व समय	**अभियोग पंजीकृत होने की तिथि व समय**	**आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि**	**आरोप विरचन की तिथि**
05.03.2021 समय–1 01.55 बजे	05.03.2021 समय 06.42 बजे	02.06.2021	02.09.2021

03. अभियोजन कथानक के सुसंगत तथ्य **प्रदर्श क–1** के अनुसार इस प्रकार है कि फर्द बरामदगी एक (01) अदद रिवाल्वर 32 बोर एवम् 03 (तीन) अदद बोका कारतूस 32 बोर एवम् व 01 (एक) अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व गिरफ्तारी 01 नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा 307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक एस०टी०एफ०, लखनऊ द्वारा समय समय पर पुरस्कार घोषित अपराधियो की गिरफ्तारी व उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जाते रहे है। इसी क्रम में आज दिनाक 05.03.2021 को मुखबीर खास द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी क्षेत्र में एस०टी०एफ० फिल्ड इकाई गोरखपुर टीम पतारसा सुराग रसी किये जाने के दौरान आकर बताया कि संजय उर्फ भेल्लर उपरोक्त करही चौराहे के पास मौजूद है और अपने किसी साथी के इन्तजार में खड़ा है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह मय हमराह उप.नि. सूरज नाथ सिह उप.नि. आलोक कुमार राय हे.कां. यशवन्त सिंह, हे.कां. सन्तोप सिह, हे०का० नसरुद्दीन हे०का० अखिलेश श्रीवास्तव हे० का० इमरान खान हे.कां. आशुतोष कुमार तिवारी, कां० महेन्द्र प्रताप सिह मय वाहन सख्या UP 32 BG 4539 इनोवा मय HC चालक परशुराम चौहान व वाहन स 0 UP 32

Digitally signed by SATYA PRAKASH ARYA
Date: 2024.08.20 02:08:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

EG 0387 बोलेरो जिसे HC यशवन्त सिंह चला रहे थे। मय मुखबीर रवाना होकर बासी करही चौराहे के तिराहा पर पहुंचे जहाँ पर थाना बांसी के प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश कुमार सिह मय हमराह उप.नि. शेषनाथ यादव, उप.नि. शशाक सिंह, हे.कां. रमेश यादव का० अवनीश सिंह तथा एस०ओ०जी० जनपद सिद्धार्थनगर के प्राभारी उप.नि. जीवन त्रिपाठी मय हमराह का०विरेन्द्र त्रिपाठी व का० अखिलेश यादव मिले जिनसे उपरोक्त सूचनाओं को साझा कर अभिसूचनाओं का विश्लेषण किया गया। तत्पश्चात में निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह मय हमराह, मुखबीर मय उपरोक्त वाहन व प्रभारी निरीक्षक थाना बासी शैलेश कुमार सिह मय हमराहियान मय वाहन सं० UP55 G 0290 सूमो गोल्ड मय HC चालक रमाकान्त यादव व एस०ओ०जी०प्रभारी उ०नि० जीवन त्रिपाठी मय हमराहियान मय वाहन से UP 32 BG 7471 सूमो गोल्ड मय चालक रामसमूझ के माधो तिराहा से रवाना होकर करही चौराह के पास पहुंचे कि करही चौराहा से जोगिया बुजुर्ग जाने वाले रोड पर कुछ दूरी पर खड़े एक व्यक्ति को गाड़ी की रोशनी पड़ने पर मुखबीर द्वारा देखकर पहचान कर बताया कि यही व्यक्ति संजय उर्फ भेल्लर है और मुखबीर गाड़ी से उतर कर चला गया। इस पर तेजी से अपने वाहन से उतरते हुये अन्य वाहनों में बैठे पुलिस फोर्स को इशारे से बताकर कि यही संजय उर्फ भेल्लर है उसको अपना परिचय देते हुये कि हम पुलिस वाले है, पकडने का प्रयास किया गया तो वह जोगिया बुजुर्ग जाने वाले रोड की ओर भागने लगा कि तेज आवाज में पुनः चिल्लाकर निरीक्षक द्वारा बताया गया कि हम पुलिस वाले है। रुक जाओ इस पर वह दौड़ते ही मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ गया, गिरते ही अपने पैन्ट में खोसे हुये असलहे को निकाल कर पुलिस वाले को भद्दी–2 गाली देते हुये पुलिस वालो को जान से मारने की नियत से फायर करने लगा जिस पर हम पुलिस वाले बाल–बाल बचे पुन तेजी से सडक से उठकर खेत की तरफ भागने लगा कि खेत में भी पुलिस पार्टी द्वारा पकडने का प्रयास किया गया तो पुनः खेत में बैठकर पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ दो फायर किया, जिस पर उ.नि. शंशाक सिंह व हे.कां. नसरुद्दीन के बाये व दाहिने बाजू में गोली लगी कि इतने में बदमाश पुनः खेत से सड़क की तरफ चढ़ने लगा कि पुन लड़खड़ा कर सड़क पर मुंह के बल गिर पड़ गया तथा पुनः फायर करने के पोजिशन में आकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया एवम् सड़क पर भद्दी गाली देते हुये फायर करने लगा। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ संतुलित फायर किया गया जिससे एक गोली बदमाश के बाये पैर में लगी तथा बदमाश लडखडाकर वही गिर गया तथा असलहा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। एक बारगी दबिश देकर बदमाश को वहीं घेर मारकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 01.55 पर वहीं पकड लिया गया। बदमाश के पैर से खून बह रहा था तथा एस.आई. शशांक सिंह व हे.कां. नसरुद्दीन को चोटों से रक्तश्राव हो रहा था। उक्त पकडे गये बदमाश व उप.नि. शंशाक सिंह व हे.कां. नसरुद्दीन को प्राथमिक उपचार हेतु सरकारी वाहन से मौके पर बुलाकर उसमें मौजूद फर्स्ट एड बाक्स से प्राथमिक उपचार किया गया। तत्पश्चात मौके पर मौजूद बदमाश के असलहे को एतिहात बरतते हुये सेफ्टी का ध्यान रखते हुये येलो कार्डन से घेर दिया गया। पकडे हुये बदमाश का नाम पता पूछते हुये सेफ्टी प्रिकाशन का ध्यान रखते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम संजय उर्फ भेल्लर पुत्र लड्डन, ग्राम खजुरिया, थाना सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर बताया। जामा तलाशी से पहने पैन्ट के दाहिने जेब से एक अदद मोबाइल सैमसंग, जिसकी IMEI 350447143678992 व 352811623678996 जिसमे N–Cell कम्पनी का नेपाली सिम लगा है तथा बाये जेब से 1240/– (बारह सौ चालीस रुपये) रुपये नगद बरामद हुआ संजय उर्फ भेल्लर ने पूछने पर बताया कि मुझे जुम्मन पुत्र मो० अकरम हुसैन, साकिन गौरागढ़, थाना पथरा बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर ने आज यहां बुलाया था। वह अपने 3– 4 अन्य साथियों के साथ यहा आने वाला था। उन लोगो ने किसी घर कि रेकी की थी जहां हम लोग आज डकैती डालते अति शीघ्रता से सरकारी वाहन UP 55G 0290 से थाना प्रभारी बासी शैलेष कुमार सिंह मय हमराह उप.नि.

शेषनाथ यादव, हे०का० रमेश यादव, का० अवनीश सिंह के साथ घायल पुलिस कर्मी व घायल बदमाश को पी.एच.सी. बांसी में इलाज हेतु भेजा गया मुठभेड की सूचना दौरान मुठभेड़ जरिये RI Set उच्चाधिकारीगण को दिया गया। एफ.एस.एल. की टीम को घटना स्थल पर आने के लिये एस.एच.ओ. बांसी द्वारा जरिये टेलिफोन से अवगत कराया गया। घटनास्थल व बरामदे असलहे को येलोकार्डन किया गया। कुछ देर पश्चात FSL के टीम मौके पर आ गयी जिनके द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

04. उक्त लिखित फर्द बरामदगी के आधार पर सम्बन्धित थाना–कोतवाली बांसी में मुकदमा अपराध संख्या–46/2021, धारा–307 भा.दं.सं. व आयुध अधिनियम की धारा–3/25 में अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर के विरुद्ध दिनाँक–05.03.2021, समय 06.42 बजे पंजीकृत हुआ। मामले के विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल तथा अवलोकन डॉक्टरी रिपोर्ट, अभियोजन स्वीकृति व अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले में आरोप पत्र धारा–307 भा.दं.सं. व आयुध अधिनियम की धारा–3/25 में अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर के विरुद्ध न्यायालय में परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया।

05. अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर जिला कारागार में निरुद्ध है।

06. विद्वान पूर्वाधिकारी अपर सत्र न्यायाधीश, बाह्य न्यायालय बांसी, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक–02.09.2021 को अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर के विरुद्ध धारा–307 भा.दं.सं. व आयुध अधिनियम की धारा–3/25, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर का आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त द्वारा इन्कार किया गया और परीक्षण की मांग की गयी।

07. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का विवरण इस प्रकार है –

क– मौखिक साक्ष्य–

पी०डब्लू०–1	निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह (वादी मुकदमा)
पी०डब्लू०–2	उपनिरीक्षक ब्रम्हा गौड़
पी०डब्लू०–3	उपनिरीक्षक शशांक सिंह
पी०डब्लू०–4	हे०कां० हरेन्द्र प्रजापति (एफ.आई.आर. लेखक)
पी०डब्लू०–5	चिकित्सक अश्वनी कुमार
पी०डब्लू०–6	उपनिरीक्षक राजेश कुमार मौर्या
पी०डब्लू०–7	हे०कां० नसरूद्दीन (मजरूब)

ख– दस्तावेजी साक्ष्य–

प्रदर्श–क–1	कागज संख्या–5 क/1 ता 5 क/8, दिनाँकित–05.03.2021 फर्द बरामदगी एक अदद रिवाल्वर, तीन अदद अदद जिन्दा कारतूस व गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त,
प्रदर्श–क–2	कागज संख्या–3 क/1 ता 3 क/10, दिनाँकित–02.06.2021 आरोप पत्र
प्रदर्श–क–3	कागज संख्या–4 क/1 ता 4 क/3, दिनाँकित–05.03.2021 चिक एफ.आई.आर.
प्रदर्श–क–4	आघात आख्या अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर प्रपत्र कागज संख्या–9 क/1
प्रदर्श–क–5	आघात आख्या हे०कां० नसीरूद्दीन, प्रपत्र कागज संख्या–9 क/2
प्रदर्श–क–6	आघात आख्या उपनिरीक्षक शशांक सिंह, प्रपत्र कागज संख्या–9 क/3

प्रदर्श–क–7	नक्शा नजरी कागज संख्या–8 क

08. अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक–28.08.2023 को अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर का बयान धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। धारा–313 द.प्र.सं. के परीक्षण के दौरान अभियुक्त ने गवाहान के बयानात के संबन्ध में यह कहा कि असत्य व कारगुजारी के तहत दिया गया बयान है। उसे मामले में बवजह दुश्मनी में फंसाया गया है। बचाव साक्ष्य देने से इन्कार किया है।

09. अभियोजन व बचावपक्ष के द्वारा दिये गये तर्कों के प्रकाश में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्र्लेषण और मूल्यांकन से पूर्व यह उचित प्रतीत हो रहा है कि अभियोजन पक्ष के मौखिक साक्षियों के अभिसाक्ष्य का उल्लेख किया जाए।

10. अभियोजन **साक्षी पी.डब्लू–1** निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह, वादी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि एस.टी.एफ. उत्तर प्रदेश लखनऊ के उच्चाधिकारीगण द्वारा चोरी लूट डकैती करने वाले अपराधियों व पुरस्कार घोषित अपराधियों के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन हेतु एस.टी.एफ. फील्ड इकाई, गोरखपुर को निर्देशित किया गया था। अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक बस्ती द्वारा पचास हजार रुपये का पुरस्कार घोषित संजय उर्फ भेल्लर का आवागमन जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी क्षेत्र में हो रहा है। मुखबीर मामूर किये गये इसी क्रम में सूचना संकलन के दौरान दिनाँक–05.03.2021 को वह निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह उपनिरीक्षक सूरज नाथ सिंह, उपनिरीक्षक आलोक कुमार राय, हे०कां० यसवन्त सिंह, हे०कां० सन्तोष सिंह, हे०कां० नसरूद्दीन, हे०कां० अखिलेश श्रीवास्तव, हे०कां० इमरान खान, हे०कां० आशुतोष कुमार तिवारी, कां० महेन्द्र प्रताप सिंह मय वाहन संख्या–UP32BG4539 इनोवा मय चालक हे०कां० परशुराम चौहान व वाहन संख्या–UP32EG0387 बोलेरो जिसे हे०कां० यशवन्त सिंह चला रहे थे। बांसी क्षेत्र में सुरागरसी पतारसी में मामूर था कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि संजय उर्फ भेल्लर, करही चौराहे के पास मौजूद है और अपने किसी अन्य साथी के इन्तजार में खड़ा है। यदि शीघ्रता किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके वह निरीक्षक मय हमराह मय मुखबीर के रवाना होकर बांसी कस्बा क्षेत्र के माधव तिराहा पर पहुँचे जहाँ पर थाना बांसी के प्रभारी निरीक्षक शैलेष कुमार सिंह, उपनिरीक्षक शेषनाथ यादव, उपनिरीक्षक शशांक सिंह, हे०कां० रमेश यादव, कां०अवनीश सिंह तथा सिद्धार्थनगर के एस.ओ.जी. प्रभारी उपनिरीक्षक जीवन त्रिपाठी मय हमराह कां० वीरेन्द्र त्रिपाठी, कां० अखिलेख यादव मिले जिनसे सूचना साझा कर प्राप्त अभिसूचना का विश्लेषण किया गया। तत्पश्चात वह निरीक्षक मय पुलिस टीम मुखबीर के माधव तिराहा से करही चौराहे के पास पहुँचे कि करही चौराहे से जोगिया बुजुर्ग जाने वाले रोड पर कुछ दूर पर खड़े एक व्यक्ति को गाड़ी की रोशनी पड़ने पर मुखबीर खास देखकर बताया गया कि यही व्यक्ति संजय उर्फ भेल्लर है और मुखबीर गाड़ी से उतर कर चला गया। इस पर तेजी से अपने वाहन से उतरते हुए व अन्य वाहनों में बैठे पुलिस बल को दूसरे से अवगत कराते हुए कि यही संजय उर्फ भेल्लर है। उसको अपना परिचय देते हुए हम पुलिस वाले है, पकड़ने का प्रयास किया गया तो वह जोगिया बुजुर्ग जाने वाले रोड पर भागने लगा कि एक बार पुनः मुझ निरीक्षक द्वारा तेज आवाज में चिल्लाकर बताया गया कि रुक जाओ हम लोग पुलिस वाले हैं। इस पर वह दौड़ते हुए मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ा, गिरते हुए अपने पैन्ट में खोसे हुए असलहा को निकाल कर हम पुलिस वालों को भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए जान से मारने की नियत से फायर करने लगा, जिससे हम पुलिस वाले बाल–बाल बचे। पुनः वह तेजी से सड़क से उठकर खेत की तरफ भागने लगा कि हम पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया तो खेत में बैठकर हम पुलिस पर जान से मारने की नियत से दो फायर किया, जो उपनिरीक्षक शशांक सिंह के बायें बाजू में व हे०कां० नसरूद्दीन के दाहिने बाजी में गोली लगते हुए गयी। इतने में बदमाश पुनः खेत से

सड़क की तरफ चढ़ने लगा कि लड़खड़ाकर मुँह के बल गिर गया तथा पोजिशन में आकर पुनः हम पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा एवं भद्दी भद्दी गाली देने लगा कि हम पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ सन्तुलित फायर किया गया तो एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जो लड़खड़ा कर वही गिर गया। बरामद असलहा रिवाल्वर 32 बोर है तथा तीन अदद खोखा कारतूस 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर मिला। उनके द्वारा अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस बल की कुशलता पूछी गयी तो अन्य सभी ने कुशलता प्रकट की एवं एस.एच.ओ. बांसी, शैलेष कुमार सिंह उपनिरीक्षक शशांक सिंह, उपनिरीक्षक सूरज नाथ सिंह, हे०कां० नसरूद्दीन द्वारा एक–एक गोली अपने सरकारी असलहे से फायर करना बताया गया। अभियुक्त को जुर्म धारा–307 भा.दं.सं. व धारा–3/25 आयुध अधिनियम अवगत कराकर हिरासत पुलिस में लिया गया। मौके पर ही अभियुक्त की गिरफ्तारी मेमो तथा बरामद बदमाश के कब्जे से असलहा रिवाल्वर जिन्दा कारतूस एक व खोखा कारतूसर तीन का फर्द बरामदगी टार्च व ड्रैगन लाइट की रोशनी में तैयार किया गया। उसके द्वारा एफ.एस.एल टीम से बदमाश के कब्जे से बरामद रिवाल्वर व सभी कारतूसों का फर्द स्वयं बोलकर उपनिरीक्षक आलोक कुमार के राये से लिखवाया गया था। फर्द पर उसका व सभी उपस्थित पुलिस कार्मियों का हस्ताक्षर बनवाया गया तथा घायल पुलिसकर्मी व घायल बदमाश को अस्पताल ले जाने वाले पुलिसकर्मियों के हस्ताक्षर पी.एच.सी. बांसी जाकर बनवाया गया तथा फर्द की एक प्रति बदमाश संजय उर्फ भेल्लर को दिया गया। कागज संख्या–5क1 ता 5क6 फर्द बरामदगी शामिल पत्रावली है, जो उसके द्वारा स्वयं बोलकर एस.आई. आलोक कुमार राये से लिखाया गया है। इस पर उसका हस्ताक्षर बना हुआ है। वह इसकी पुष्टि करता है। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। उसके द्वारा मुताबिक फर्द थाना कोतवाली बांसी में एफ.आई.आर. पंजीकृत कराया गया था। पैरोकार थाना कोतवाली बांसी, कां० श्रवण कुमार द्वारा एक सफेद कपड़े में शील पैक पोटली व एक सफेद प्लास्टिक का डिब्बा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कपड़े में शील पैक पोटली के ऊपर एक अदद रिवाल्वर 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व 3 अदद खोखा कारतूस 32 बोर सम्बन्धित मु०अ०सं०–46/2021, धारा–307 भा.दं.सं. व धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर संजय उर्फ भेल्लर लिखा हुआ है, जिस पर साक्षी का नाम भी लिखा हुआ है और उसके ऊपर बने अस्पष्ट हस्ताक्षर दिनाँकित–05.03.2021 को साक्षी द्वारा अपना हस्तलेख व हस्ताक्षर बताया गया। पोटली पूर्णतया सील पैक दुरूस्त पायी गयी। न्यायालय के आदेश से पोटली खोली गयी, जिसमें एक अदद रिवाल्वर 32 बोर लोहे का जिसमें लकड़ी का बट लगा हुआ, प्राप्त हुआ। जिसे देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि यह वही रिवाल्वर है, जो मुठभेढ के समय संजय उर्फ भेल्लर से बरामद हुआ था और इसी से संजय उर्फ भेल्लर द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर भी किया गया था। वह इसकी पुष्टि करता है। कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श–1** व रिवाल्वर पर **वस्तु प्रदर्श 2** डाला गया तथा बरामद तीन खोखा कारतूस जिस पर 0.32SAWLKF लिखा हुआ है। साक्षी द्वारा इसकी भी पुष्टि की गयी। इस पर **वस्तु प्रदर्श 3,4,5** व जिन्दा कारतूस पर भी 32 SAWLKF लिखा हुआ है। साक्षी द्वारा इसकी भी मुठभेड़ के दिन बरामद करने की पुष्टि की गयी, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–6** डाला गया। प्लास्टिक के डिब्बे के ऊपर मु०अ०सं०–46/2021 लिखा हुआ है। डिब्बे को खोलने के बाद उसके अन्दर से सैमसंग सादा व रंग काला व नीला एक अदद मोबाइल प्राप्त हुई। मोबाइल खोलने पर उसके अन्दर एनसेल का एक अदद सिम लगा हुआ तथा सैमसंग की बैटरी लगी हुई है, परन्तु बैटरी डिस्चार्ज है। मोबाइल को देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि यह मोबाइल बदमाश संजय उर्फ भेल्लर से मुठभेड़ के दौरान बरामद हुआ था। इसकी वह पुष्टि करता है। प्लास्टिक के डिब्बे पर **वस्तु प्रदर्श 7** तथा मोबाइल पर **वस्तु प्रदर्श 8** डाला गया। विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था।

10.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.1 से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि गिरफ्तारी के समय मुल्जिम अकेला था। मुखबीर की सूचना पर घटना स्थल पर गये थे। मुल्जिम की गिरफ्तारी करने हम लोगों की पूरी टीम में लगभग बारह लोग गये थे। मुल्जिम के पास से पहले से 32 बोर का रिवाल्वर बरामद हुआ था। मुल्जिम कितना फायर किया था, उसे याद नहीं है। गोली उसे नहीं लगी थी। गोली उपनिरीक्षक शशांक सिंह व हे०कां० नसीरूद्दीन को बाजू रगड़ते हुए गयी थी और एक गोली मुल्जिम के पैर में लगी थी। घटना के समय चार पुलिस वालों ने फायर किया था। घटना के समय पूरी टीम के पास असलहे थे। गोली की आवाज सुनकर कोई ग्रामीण या अगल बगल के लोग नहीं आये थे। मुल्जिम को गिरफ्तार करने और गोली आदि चलने में तथा अस्पताल भेजने तक लगभग आधा घण्टे का समय लगा था। इस आधे घण्टे के बीच में कोई प्राइवेट गवाह नहीं आये थे। घायलों को सरकारी अस्पताल एस.एच.ओ. बांसी की सरकारी गाड़ी से भेजा गया था।

11. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–2 निरीक्षक** ब्रम्हा गौड़, विवेचक ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनाँक–05.03.2021 को वह प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा में कार्यरत था। उसी दिन अपराध संख्या–46/2021, धारा–307 भा.दं.सं. व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर की विवेचना क्षेत्राधिकारी बांसी के आदेश दिनाँक–07.03.2021 से स्थानांतरित होकर उसे प्राप्त करायी गयी। दिनाँक–08.04.2021 को मजरूब हे०कां० नसरूद्दीन व मजरूब उपनिरीक्षक शशांक कुमार सिंह के डॉक्टरी रिपोर्टों का अवलोकन किया। दिनाँक–11.04.2021 को फर्द गवाह प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक शेषनाथ यादव, उपनिरीक्षक शशांक सिंह, हे०कां० रमेश यादव व कां० अवनीश सिंह का बयान अंकित किया। दिनाँक–15.04.2021 व दिनाँक–28.04.2021 तथा दिनाँक–11.05.2021 को गिरफ्तार अभियुक्त का न्यायालय से रिमाण्ड प्राप्त किया। दिनाँक–17.05.2021 को फर्द गवाह उपनिरीक्षक जीवन त्रिपाठी, आरक्षी अखिलेश यादव, विरेन्द्र त्रिपाठी का बयान अंकित किया तथा अभियोजन स्वीकृत हेतु श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया। दिनाँक–02.06.2021 को जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर द्वारा अभियोग चलाये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृत आदेश का अवलोकन किया।

अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी, बयानात गवाहान, अवलोकन डॉक्टरी रिपोर्ट, निरीक्षण घटना स्थल से अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर के विरुद्ध जुर्म धारा–307 भा.दं.सं. व धारा–3/25 आयुध अधिनियम का अपराध बखूबी साबित पाकर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। कागज संख्या–3 क/1 ता 3 क/4 आरोप पत्र शामिल पत्रावली है, जिसे देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि यह आरोप पत्र उसके द्वारा स्वयं बोलकर सी.सी.टी.एन.एस. पर कम्प्यूटर ऑपरेटर से किता कराया गया है। इस पर उसका हस्ताक्षर बना हुआ है, वह इसकी पुष्टि करता है। इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

11.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.2 से जिरह नहीं की गयी।

12. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–3** शशांक कुमार सिंह, उपनिरीक्षक ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनाँक–05.03.2021 को थाना कोतवाली बांसी, जिला सिद्धार्थनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उसी दिन प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह का हमराह, वह व उपनिरीक्षक शेषनाथ यादव, हे०कां० रमेश यादव,कां० अवनीश सिंह के साथ देखभाल, क्षेत्र जाँच, संदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहन के लिए निकला था। उसी समय माधव तिराहे पर एस.ओ.जी. प्रभारी उपनिरीक्षक जीवन त्रिपाठी मय टीम से मुलाकात हुई। सभी लोग आपस में अपराध व संदिग्ध अपराधियों के विषय में वार्ता कर रहे थे। उसी समय निरीक्षक सत्या प्रकाश सिंह मय हमराह मय मुखबीर माधव तिराहा पर आ गये और प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह व

एस.ओ.जी. प्रभारी जीवन त्रिपाठी से अपने सूचनाओं को साझा कर प्राप्त अभिसूचनाओं का विश्लेषण किया गया। तत्पश्चात निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह तथा एस.ओ.जी. प्रभारी जीवन त्रिपाठी मय हमराहियान तथा मुखबीर अपने–अपने सरकारी वाहनों से रवाना होकर करही चौराहे के पास पहुँचे और जोगिया बुजुर्ग जाने वाले रोड पर कुछ दूरी पर खड़े एक व्यक्ति को गाड़ी की रोशनी में देखकर मुखबीर द्वारा पहचान कर बताया गया कि यही व्यक्ति संजय उर्फ भेल्लर है और गाड़ी से उतर कर मुखबीर चला गया। इस पर निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह द्वारा सभी पुलिस फोर्स को इशारे से बताया गया कि यही संजय उर्फ भेल्लर है और उसको अपना परिचय देते हुए कि हम पुलिस वाले हैं तथा उसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो वह भागने लगा और बार–बार रुकने के लिए कहने के बावजूद जोगिया बुजुर्ग जाने वाली सड़क पर दौड़ते हुए मुँह के बल गिर पड़ा, गिरते ही अपने पैन्ट में खोसे हुए असलहे को निकाल कर हम पुलिस वालों को भद्दी–भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की नियत से हम पुलिस वालों पर फायर करने लगा, जिससे हम पुलिस वाले बाल–बाल बच गये। पुनः तेजी से सड़क से उठकर वह खेत की तरफ भागने लगा। हम पुलिस टीम द्वारा खेत में भी पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुनः खेत में बैठकर हम पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ दो फायर किया, जिस पर उसे व हे.कां. नसरूद्दीन को क्रमशः बाये व दाहिने बाजू में गोली लगी। इतने में बदमाश पुनः खेत की तरफ चढ़ने लगा कि पुनः लड़खड़ाकर कर सड़क पर मुँह के बल गिर पड़ा तथा पुनः फायर की पोजिशन में आकर पुलिस को जान से मारने की नियत से फायर किया एवं सड़क पर पीछे हटकर भद्दी–भद्दी गाली देते हुए फायर करने को हुआ कि हम पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ संतुलित फायर किया गया, जिससे बदमाश के बायें पैर में एक गोली लगी और वह वहीं लड़खड़ा कर गिर गया तथा उसका असलहा हाथ से छूटकर गिर गया, दबिश देकर बदमाश को वहीं घेरकर आवश्यक बलका प्रयोग करते हुए समय 01.55 बजे पर पकड़ लिया गया। बदमाश व उसके हे०कां० नसरूद्दीन के चोटों से रक्त स्त्राव हो रहा था। तीनों चोटहिलों का सरकारी गाड़ी में मौजूद "First Aid" बाक्स से उपचार किया गया। तत्पश्चात मौके पर मौजूद बदमाश के असलहे को एहतियात बरतते हुए एलोकार्ड से घेर दिया गया। तत्पश्चात सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखते हुए पकड़े हुए बदमाश का जमातलाशी लेते हुए उसका नाम,पता पूछा गया तो उसने अपना नाम संजय उर्फ भेल्लर पुत्र लड्डन, ग्राम खजुरिया, थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर बताया। जामातलाशी में पैन्ट के दाहिने जेब से एक अदद सैमसंग की मोबाइल जो सादा व काली रंग की थी और उसमें एन–सेल कम्पनी का नेपाली सिम लगा हुआ था। पूछने पर बतायाकि उसे जुम्मन पुत्र मो०अकरम हुसेन, ग्राम गौरागढ़, थाना पथरा बाजार आज यहाँ बुलाया था। वह अपने तीन–चार साथियों के साथ आज यहाँ आने वाला था, जो किसी घर की रेकी किये थे, जहाँ हम लोग आज डकैती डालते। शीघ्रता से प्रभारी निरीक्षक बांसी, शैलेश कुमार सिंह मय हमराह उपनिरीक्षक शेषनाथ यादव, हे०कां० रमेश यादव, कां० अवनीश सिंह के साथ घालय हम पुलिसकर्मी व बदमाश को पी.एच.सी. बांसी में सरकारी गाड़ी से इलाज हेतु भेजा गया। पी.एच.सी. बांसी, में उसका व हे०कां० नसरूद्दीन तथा घायल बदमाश का इलाज किया गया तथा डॉक्टरी मुआइना भी तैयार किया गया व अस्पताल में ही पुलिसकर्मी द्वारा लाये गये फर्द पर अस्पताल में उपस्थित हम सभी पुलिस कर्मियों द्वारा हस्ताक्षर बनाया गया। कागज संख्या–5 क/1 ता 5 क/6 फर्द बरामदगी को देखकर साक्षी द्वारा अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की गयी, जिस पर पूर्व में ही **प्रदर्श क–1** डाला जा चुका है। विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था।

12.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.3 से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि घटना दिनाँक–05.03.2021 की रात करीब 12.30 ए.एम. की है। मुल्जिम द्वारा चलाई गयी गोली उसे व हे०कां० नसीरूद्दीन को लगी थी। उस समय अभियुक्त ने ताबड़तोड़ कई फायर किया था। पुलिस टीम द्वारा कुल चार लोगों ने फायर किया था। अभियुक्त की जमातलाशी लिये

जाने पर पहने हुए पैन्ट की दाहिने जेब से एक अदद सैमसंग सादा मोबाइल व बायें जेब से 1240 रुपये नकद मिला था।

13. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–4** हे०कां० हरेन्द्र प्रजापति ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनाँक–05.03.2021 को थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में कां०मो० के पद पर कार्यरत था। उसी दिन प्रभारी निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह एस.टी.एफ. फील्ड इकाई, गोरखपुर मय हमराह व प्रभारी निरीक्षक बांसी शैलेष कुमार सिंह तथा प्रभारी एस.ओ.जी. सिद्धार्थनगर, उपनिरीक्षक जीवन त्रिपाठी मय हमराह थाना उपस्थित आये और साथ में एक नफर अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर गिरफ्तारशुदा तथा एक अदद रिवाल्वर 32 बोर मय तीन अदद खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस सीलसर्वमुहर आदि दाखिल किया गया और फर्द के मुताबिक उसके द्वारा अपराध संख्या–46/2021, धारा–307 भा.दं.सं. व 3/25 आयुध अधिनियम का मुकदमा थाना कोतवाली बांसी, में कायम किया गया और उसके द्वारा ही स्वयं मुताबिक फर्द अक्षरशः चिक एफ.आई.आर. किता किया गया तथा उसके द्वारा ही कायमी रपट की कम्प्यूटराइज सी.सी.टी.एन.एस. किता किया गया है। चिक एफ.आई.आर. पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेष कुमार सिंह का उसके द्वारा हस्ताक्षर बनवाया गया है तथा रपट कायमी की कम्प्यूटराइज प्रति को आज उसके द्वारा प्रमाणित कर हस्ताक्षर बनाया गया। वह इसकी पुष्टि करता है। ये दोनों प्रपत्र क्रमशः कागज संख्या–4क/11 चिक एफ.आई.आर. पर **प्रदर्श क–2** व कागज संख्या–7क/2 रपट कायमी पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था।

13.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.4 से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि आज वह मूल जी.डी. साथ में नहीं लाया है, उसको तहरीर नहीं मिला था, उसको फर्द मिला था, जिसमें गिरफ्तारी व बरामदगी थी। अभियुक्त को गिरफ्तार करके लाये थे तो उसने देखा था। इस साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि वह अपने उच्चाधिकारियों के आदेश पर कार्य करता है।

14. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–5** चिकित्सक अश्वनी कुमार ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनाँक–05.03.2021 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसी, सिद्धार्थनगर में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उसी दिन रात्रि 02.40 ए.एम. पर हे०कां० रमेश यादव, थाना बांसी, जिला सिद्धार्थनगर द्वारा तीन चोटहिल क्रमशः संजय उर्फ भेल्लर उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र लड्डन, ग्राम खजुरिया, थाना सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर तथा हे०कां० मोहम्मद नसरूद्दीन उम्र लगभग 37 वर्ष, पुत्र स्व० शोहराब, एस.टी.एफ. यूनिट गोरखपुर तथा एस.आई. शशांक सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र भानु सिंह, थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर को इलाज व डॉक्टरी परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम चोटहिल संजय उर्फ भेल्लर का नाक पर कटे का निशान पहचान स्वरूप दर्ज किया गया तथा बायें हाथ का निशानी अंगूठा भी लगाया गया। डॉक्टरी परीक्षण में **संजय उर्फ भेल्लर** को निम्नलिखित चोटें पाई गई।

1. फटा हुआ घाव 1.5 से.मी. x 1.5 सेमी. अण्डाकार चोट था। घाव बायें पैर के घुटने के नीचे पटेला हड्डी से 10.00 सेमी. नीचे था। चोट का मार्जिन अन्दर की तरफ धंसा हुआ था, जो पैर के Middle Surface पर था। घाव ताजा व लाल रंग में था। घाव का मार्जिन इरेग्युलर था और उस पर Tattooing चिन्ह मौजूद था।

2. फटा हुआ घाव 1.8 सेमी. x 1.8 सेमी. जो घाव संख्या–1 से 8.00 सेमी. नीचे पीछे की तरफ मौजूद था, जिसके घाव की मार्जिन बाहर की तरफ निकली हुई थी, जो लाल रंग की थी और मार्जिन इरेग्युलर था तथा रक्त स्त्राव हो रहा था।

3. खरोंच का घाव 4.5 सेमी. x 0.5 सेमी. ललाट पर बायीं तरफ भौंह से 03.00 सेमी. ऊपर मौजूद थी, जिसाक रंग Contusion खरोंच के साथ बायीं भौंह की Just ऊपर 4.5 सेमी. x

2.5 सेमी. के आकार का घाव मौजूद था, जो लाल रंग का था।

घाव संख्या–1 व 2 सामान्य प्रकृति का था, जो Distance Shot Fire आर्म के द्वारा घाव कारित किया गया था। चोट संख्या–3 व 4 सामान्य प्रकृति का था, जो सख्त कुन्दालय से पहुँचाई गई थी। सभी चोटें ताजी थीं।

चोटहिल हे०कां० नसरूद्दीन का पहचान स्वरूप बायें हाथ का निशानी अंगूठा लिया गया तथा उनके छाती के ऊपर बायें तरफ स्थित काला तिल दर्ज किया गया। चोटहिल हे०कां० नसरूद्दीन को निम्नलिखित चोटें पाई गईं।

1. खरोंच 3.5 से.मी. x 1.5 सेमी. दाहिने हाथ में ऊपर बांह में बाहरी व पीछे की तरफ लेटरल और डारसल के बीच मौजूद था, जो Smoke (Fire Arm) का धुआँ तथा Tattooing मार्क के साथ मौजूद था और वह लाल कलर का था, जो दाहिने कुहनी से 06.00 सेमी. ऊपर था।

चोट संख्या 1 सामान्य प्रकृति की थी, जो किसी डिस्टेन्स फायर आर्म के द्वारा पहुँचाई गई और चोट ताजी थी।

चोटहिल **उपनिरीक्षक शशांक सिंह** का पहचान स्वरूप बायें हाथ का निशानी अंगूठा तथा ललाट पर दाहिनी तरफ काला तिल दर्ज किया गया, जिन्हें निम्नलिखित चोटें पाईं गईं।

1. खरोच 4.5 सेमी. x 1.5 सेमी. दाहिने हाथ के ऊपर बांह में कुहनी से 04.00 सेमी. ऊपर बाहर और पीछे की तरफ डार्सल लेटरल के बीच में मौजूद थी। जो लाल रंग का था। घाव स्मोक (फायर आर्म का धुआँ) Tattooing मार्क के साथ मौजूद था।

चोट संख्या 1 सामान्य प्रकृति का था, जो फायर आर्म के द्वारा पहुँचाया गया था। चोट ताजी थी।

कागज संख्या 9क/1, 9क/2 व 9क/3 आघात आख्या क्रमशः चोटहिल संजय उर्फ भेल्लर, हे०कां० नसरूद्दीन व उपनिरीक्षक शशांक सिंह को देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि तीनों आघात आख्या उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में हैं। वह इसकी पुष्टि करता है। इस पर प्रदर्श क्रमशः कागज संख्या–9क1 पर प्रदर्श क–4, कागज संख्या–9क/2 पर प्रदर्श क–5 व कागज संख्या–9क/3 पर प्रदर्श क–6 डाला गया। दरोगा जी द्वारा पूछताछ किया गया था।

14.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.5 से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि उसके कागज के अनुसार संजय उर्फ भेल्लर को उसके पास डॉक्टरी परीक्षण हेतु रात्रि 02.40 बजे लाया गया था। संजय उर्फ भेल्लर को आयी चोटें साधारण प्रकृति की थी। यह चोट किसी फायर आर्म के द्वारा पहुँचायी गयी थी। फायर आर्म लगभग दस से पन्द्रह फिट की दूरी से चली होगी। गोली आर–पार हो गयी थी। सर्वप्रथम इलाज संजय उर्फ भेल्लर का किया था। चोट पर किसी बारूद का मन्द नहीं था, लेकिन टैटोइंग मार्क मौजूद था, जो फायर आर्म इन्जरी को दर्शाता है। संजय उर्फ भेल्लर जब उसके पास आया था, तब वह कराह नहीं रहा था, दर्द था। चोट एकदम ताजा था, जो एक घण्टे के अन्दर का रहा होगा। नसरूद्दीन व शशांक सिंह को भी चोटें आयीं थीं, जो साधारण प्रकृति की थी, जो फायर आर्म की थी। नसरूद्दीन व शशांक सिंह को फायर आर्म चलने की दूरी छः–सात फिट हो सकती है, सटा के नहीं चलायी गयी थी। शशांक सिंह के चोटों का आकार 4.5x1.5 सेमी की और नसरूद्दीन के चोटों का आकार 3.5x1.5 सेमी. थी। उपनिरीक्षक शशांक सिंह व नसरूद्दीन को आयी चोटें किसी फायर आर्म से लगी है। यह चोट स्वतः कारित नहीं की जा सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा ही पहुँचायी जा सकती है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने राजनीतिक दबाव में डॉक्टरी रिपोर्ट तैयार किया है।

15. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–6 उपनिरीक्षक राजेश कुमार मौर्या, विवेचक** ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि दिनाँक–05.03.2021 को थाना कोतवाली बांसी, जनपद

सिद्धार्थनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। दिनाँक–05.03.2021 को ही अपराध संख्या–46/2021, अन्तर्गत धारा–307 भा.दं.सं. व आयुध अधिनियम की धारा–3/25, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में दर्ज होकर उसे विवेचना प्राप्त कराई गई। उसके द्वारा विवेचना ग्रहण कर दिनाँक–05.03.2021 को ही नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन किया गया तथा वादी प्रभारी निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह, फर्द गवाह, एस.आई. आलोक कुमार राय, उपनिरीक्षक सूरज नाथ सिंह, हे०कां० यसवन्त सिंह, हे०कां० सन्तोष कुमार सिंह, हे०कां० नसीरूद्दीन, हे०कां० अखिलेश श्रीवास्तव, का० महेन्द्र प्रताप सिंह का बयान अंकित किया। तत्पश्चात वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक एस.टी.एफ. के निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया और एक नक्शा नजरी तैयार किया। कागज संख्या–8 क नक्शा नजरी शामिल पत्रावली है, जिसे देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि यह उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। वह इसकी पुष्टि करता है। इस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। तत्पश्चात अन्दर हवालात में निरुद्ध अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर सन्तरी पहरा की उपस्थिति में हवालात से बाहर निकालकर बयान लिया गया। एफ.आई.आर. लेखक कां० मोहर्रिर हरेन्द्र प्रजापति का भी बयान लिया गया। तत्पश्चात श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बांसी के आदेश दिनाँक–07.03.2021 से विवेचना थाना खेसरहा स्थानान्तरित कर दिया गया।

15.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.6 से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि उसकी मौजूदगी में ही थाने पर मुकदमा कायम हुआ था। बांसी पुलिस की टीम का नाम उपनिरीक्षक जीवन त्रिपाठी, बाकी लोगों का नाम काफी दिन होने के नाते याद नहीं है। उस दिन जो सामान अभियुक्त के पास से बरामद हुआ था, उसका अवलोकन उसने नहीं किया था। घटना स्थल का निरीक्षण उसने वादी मुकदमा निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के निशानदेही पर किया था। उसका साथ कोई नहीं था, बल्कि वादी मुकदमा के साथ उनके दो हमराही ही साथ थे। गिरफ्तारी मेमो गिरफ्तारी के समय घटना स्थल पर ही बनाया जाता है। घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी न तो उसने लिया था और न ही वहाँ कोई खून का दाग धब्बे बरामद हुआ ता। उसने अपने प्रभारी निरीक्षक के कहने पर विवेचना ग्रहण कर विवेचना किया था।

16. अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू–7** हे०कां० नसरूद्दीन ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया कि अपर पुलिस महानिदेशक एस.टी.एफ. उ०प्र० लखनऊ द्वारा पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी व उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु समय समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं, जिसके क्रम में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्तकबीरनगर, महाराजगंज आदि जनपदों में चोरी, लूट, डकैती करने वाले अपराधियों व पुरस्कार घोषित अपराधियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई। उस सम्बन्ध में उपनिरीक्षक आलोक कुमार राय द्वारा अभिसूचना का संकलन किया जा रहा था। अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि संजय उर्फ भेल्लर पुत्र लड्डन, निबांसी खजुरिया, जिला सिद्धार्थनगर का सूचना प्राप्त हुआ। दिनाँक–04.03.2021 से वह प्रभारी निरीक्षक एस.टी.एफ. महोदय निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के हमराह डियूटी में था। दिनाँक–05.03.2021 को प्रभारी निरीक्षक एस.टी.एफ. श्री सत्य प्रकाश सिंह उसके व अन्य हमराहियों के साथ मुखबीर की सूचना के आधार पर अपराधी संजय उर्फ भेल्लर के करही चौराहे पर मौजूदगी की सूचना पर अपने उच्च अधिकारियों की सूचना देते हुए बांसी कस्बा क्षेत्र के माधव तिराहा पर पहुँचे जहाँ थाना बांसी के प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह मय हमराहियान व एस.ओ.जी. प्रभारी उपनिरीक्षक जीवन त्रिपाठी मय हमराहियान मौजूद मिले। सभी लोगों से सूचना साझा कर हम सभी पुलिस के लोग बांसी, माधव तिराहा से रवाना होकर करही चौराहे के पास पहुँचे जहाँ से जोगिया बुजुर्ग जाने वाले रोड पर कुछ दूरी पर खड़े एक व्यक्ति को गाड़ी की रोशनी में मुखबीर पहचान कर बताया कि यही व्यक्ति संजय उर्फ भेल्लर है और मुखबीर वहाँ से चला गया। प्रभारी द्वारा हम पुलिस फोर्स को

इशारे में बताया गया कि यहीं संजय उर्फ भेल्लर है। उसको अपना परिचय देते हुए कि हम पुलिस वाले हैं, पकड़ने का प्रयास किया गया, परन्तु अपराधी जोगिया बुजुर्ग जाने वाले रोड पर भागने लगा और वह सड़क पर मुँह के बल गिर पड़ गया और गिरते ही अपने पैन्ट में खोसे हुए असलहे को निकाल कर हम पुलिस वालों को भद्दी भद्दी गाली देते हुए हम पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से फायर करने लगा, जिस पर हम पुलिस वाले बाल–बाल बच गये। पुनः उठकर खेत की तरफ भागने लगा, जहाँ पकड़ने का प्रयास किया जाने लगा। पुनः खेत में बैठकर हम पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायर करने लगा, जिससे उपनिरीक्षक शशांक सिंह के बायें हाथ में व उसे दाहिने हाथ में गोली लगी। पुनः अपराधी सड़क की तरफ भागा और पुनः फायर की पोजिशन में आके पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से फायर किया तथा सड़क पर पीछे हटकर हम पुलिस वालों को भद्दी भद्दी गाली देते हुए फायर करने को हुआ तो हम पुलिस वालों द्वारा आत्मरक्षार्थ सन्तुलित फायर किया गया, जिससे एक गोली बदमाश के बायें पैर पर लगी तथा बदमाश लंगड़ा कर वहीं गिर गया और असलहा उसके हाथ से छूटकर वहीं गिर गया। जिस पर हम पुलिस के लोग एक वारगी दबिश देकर आवश्यक बल प्रयोग कर घेर कर बदमाश को पकड़ लिया गया। बदमाश के पैर से खून बह रहा था तथा उपनिरीक्षक शशांक सिंह के व उसके चोटों से भी रक्त स्त्राव हो रहा था। पकड़े गये बदमाश व उपनिरीक्षक शशांक सिंह तथा उसके चोटों का सरकारी वाहन में मौजूद First aid box से उपचार किया गया। तत्पश्चात मौके पर मौजूद बदमाश द्वारा नाम पता पूछने पर अपना नाम संजय उर्फ भेल्लर पुत्र लड्डुन, साकिन खजुरिया, थाना व जिला सिद्धार्थनगर बताया। तलाशी में बदमाश की जेब से एक सैमसंग सादा मोबाइल मिला, जिसमें नेपाली सिम लगा था और बाये जेब से 1244/– रुपया नकद मिला था। बदमाश पूछने पर बताया कि उसे जुम्मन, ग्राम गौरागढ़ ने बुलाया था और अभी अपने चार साथियों के साथ आने वाला था, तत्पश्चात प्रभारी निरीक्षक बांसी शैलेश कुमार सिंह मय हमराह अपने साथ उपनिरीक्षक शशांक सिंह व उसे तथा घायल बदमाश को इलाज हेतु पी.एच.सी. बांसी लेकर चले आये। कुछ देर बाद प्रभारी निरीक्षक एस.टी.एफ. इकाई गोरखपुर श्री सत्य प्रकाश द्वारा बांसी पी.एच.सी. पर आकर उससे व उपनिरीक्षक शशांक सिंह से तथा घायल बदमाश से हस्ताक्षर कराया गया। विवेचक द्वारा बयान लिया गया था।

16.1 बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.7 से जिरह की गयी। इस साक्षी ने दौरान जिरह बयान दिया कि घटना दिनाँक–05.03.2021 की है। उस समय उसकी पोस्टिंग यूनिट शाखा गोरखपुर में थी। वह दिनाँक–05.03.2021 को जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी थाना क्षेत्र में मौजूद था। न्यायालय में उपस्थित संजय उर्फ भेल्लर को वह पहचानता है। यही घटना के दिन पकड़ा गया था। यह घटना बांसी क्षेत्र के जोगिया बुजुर्ग के आस–पास की है। मुखबीर खास उसके साथ था, उसी ने गाड़ी की रोशनी से देखकर बताया कि यही संजय उर्फ भेल्लर है। संजय भेल्लर लड़खड़ा कर गिरा हुआ था, वही से उसे गिरफ्तार किया गया था। जमा तलाशी में एक अदद मोबाइल था और 32 बोर का तमन्चा था। यह दिनाँक–05.03.2021 की रात्रि 01.30 बजे से 02.00 बजे के बीच की है। इसमें चोटहिल स्वयं मुल्जिम था व एक दरोगा जी थे तथा एक वह स्वयं था। घटना स्थल पर फायरिंग हुई थी। घटना स्थल पर पब्लिक का कोई आदमी नहीं था। फायरिंग का समय लगभग 01.45 से 01.55 बजे के करीब हुआ था। गोली लगने के बाद वह बेहोश नहीं हुआ था। फर्द बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं मिला था। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की इस सुझाव से इन्कार किया कि फर्द पर उसका हस्ताक्षर नहीं है। यह फर्द घटना स्थल पर ही लिखा गया था। पुलिसकर्मियों के द्वारा भी गोली चलायी गयी थी। इस साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया कि वह आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है।

निष्कर्ष

17. अभियोजन द्वारा अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर पर यह आरोप लगाया गया है कि दिनाँक–05.03.2021 की बीती रात समय लगभग 01.55 बजे, बहद स्थान करही बाजार से जोगिया बुजुर्ग जाने वाले रोड, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिससे कि यदि उनकी मृत्यु कारित हो जाती तो हत्या के दोषी होते तथा पुलिस टीम द्वारा जमातलाशी लिये जाने पर एक अदद रिवाल्वर 32 बोर व तीन अदद खोखा कारतूस 32 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर का बरामद हुआ, जिसको रखने का आप अभियुक्त के पास कोई अनुज्ञा प्रमाण पत्र नहीं था।

18. अभियोजन को अपना मामला अपनी ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से आरोपीगण के विरुद्ध युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करना है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा तथा मूल्यांकन उपरोक्त आरोप के सन्दर्भ में किया जाएगा।

19. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनाँक–05.03.2021 को ईनामी अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर के बारे में एस.टी.एस. आलोक कुमार को मुखबीर खास द्वारा आकर बताया कि संजय उर्फ भेल्लर उपरोक्त करही चौराहे के पास मौजूद है और अपने किसी साथी के इन्तजार में खड़ा है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह मय हमराह उप.नि. सूरज नाथ सिह उप.नि. आलोक कुमार राय हे.कां. यशवन्त सिंह, हे.कां. सन्तोप सिह, हे०का० नसरुद्दीन हे०का० अखिलेश श्रीवास्तव हे० का० इमरान खान हे.कां. आशुतोष कुमार तिवारी, कां० महेन्द्र प्रताप सिह मय वाहन सख्या UP 32 BG 4539 इनोवा मय H.C. चालक परशुराम चौहान व वाहन स0 UP 32 EG 0387 बोलेरो जिसे H.C. यशवन्त सिंह चला रहे थे। मय मुखबीर रवाना होकर बासी करही चौराहे के तिराहा पर पहुंचे जहाँ पर थाना बांसी के प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश कुमार सिह मय हमराह उप.नि. शेषनाथ यादव, उप.नि. शशाक सिंह, हे.कां. रमेश यादव का० अवनीश सिंह तथा एस०ओ०जी० जनपद सिद्धार्थनगर के प्राभारी उप.नि. जीवन त्रिपाठी मय हमराह का०विरेन्द्र त्रिपाठी व का० अखिलेश यादव मिले जिनसे उपरोक्त सूचनाओं को साझा कर अभिसूचनाओं का विश्लेषण किया गया। तत्पश्चात में निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह मय हमराह, मुखबीर मय उपरोक्त वाहन व प्रभारी निरीक्षक थाना बासी शैलेश कुमार सिह मय हमराहियान मय वाहन सं० UP55 G 0290 सूमो गोल्ड मय HC चालक रमाकान्त यादव व एस०ओ०जी०प्रभारी उ०नि० जीवन त्रिपाठी मय हमराहियान मय वाहन से UP 32 BG 7471 सूमो गोल्ड मय चालक रामसमूझ के माधो तिराहा से रवाना होकर करही चौराह के पास पहुंचे कि करही चौराहा से जोगिया बुजुर्ग जाने वाले रोड पर कुछ दूरी पर खड़े एक व्यक्ति को गाड़ी की रोशनी पड़ने पर मुखबीर द्वारा देखकर पहचान कर बताया कि यही व्यक्ति संजय उर्फ भेल्लर है और मुखबीर गाड़ी से उतर कर चला गया। इस पर तेजी से अपने वाहन से उतरते हुये अन्य वाहनों में बैठे पुलिस फोर्स को इशारे से बताकर कि यही संजय उर्फ भेल्लर है उसको अपना परिचय देते हुये कि हम पुलिस वाले है, पकडने का प्रयास किया गया तो वह जोगिया बुजुर्ग जाने वाले रोड की ओर भागने लगा कि तेज आवाज में पुनः चिल्लाकर निरीक्षक द्वारा बताया गया कि हम पुलिस वाले है। रुक जाओ इस पर वह दौड़ते ही मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ गया, गिरते ही अपने पैन्ट में खोसे हुये असलहे को निकाल कर पुलिस वाले को भद्दी–2 गाली देते हुये पुलिस वालो को जान से मारने की नियत से फायर करने लगा जिस पर हम पुलिस वाले बाल–बाल बचे पुन तेजी से सडक से उठकर खेत की तरफ भागने लगा कि खेत में भी पुलिस पार्टी द्वारा पकडने का प्रयास किया गया तो पुनः खेत में बैठकर पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ दो फायर किया, जिस पर उ.नि. शंशाक सिंह व हे.कां. नसरुद्दीन के बाये व दाहिने बाजू

में गोली लगी कि इतने में बदमाश पुनः खेत से सड़क की तरफ चढ़ने लगा कि पुन लड़खड़ा कर सड़क पर मुंह के बल गिर पड़ गया तथा पुनः फायर करने के पोजिशन में आकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया एवम् सड़क पर भद्दी गाली देते हुये फायर करने लगा। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ संतुलित फायर किया गया जिससे एक गोली बदमाश के बाये पैर में लगी तथा बदमाश लडखडाकर वही गिर गया तथा असलहा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। एक बारगी दबिश देकर बदमाश को वहीं घेर मारकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 01.55 पर वहीं पकड लिया गया।

20. उपरोक्त कथन के समर्थन में अभियोजन साक्ष्य संकलन के रूप में फर्द बरामदगी कागज संख्या–5क/1 ता 5क/6, दिनाँकित–05.03.2021, जिसमें एक अदद रिवाल्वर 32 बोर व तीन अदद खोखा कारतूस तथा एक अदद जिन्दा कारतूस है। इस सन्दर्भ में प्रस्तुत पत्रावली में चिकित्सक परीक्षण आख्या प्रपत्र कागज संख्या–9क/1 अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर, प्रपत्र कागज संख्या–9क/2 चोटहिल पुलिस कर्मी हे०कां० नसरूद्दीन व प्रपत्र कागज संख्या–9क/3 उपनिरीक्षक शशांक सिंह, प्रपत्र कागज संख्या–9क/4 ओ.पी.डी. पंजीकरण संख्या–1532, दिनाँकित–05.03.2021, अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर है।

21. मौखिक साक्ष्य के रूप में बतौर अभियोजन साक्षी संख्या पी.डब्लू.1 निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या पी.डब्लू.2 बह्मानंद गौड़, अभियोजन साक्षी संख्या पी.डब्लू.3 चोटहिल पुलिस कर्मी शशांक सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या पी.डब्लू. 4 हरेन्द्र प्रजापति (एफ.आई.आर. लेखक), अभियोजन साक्षी संख्या पी.डब्लू.5 चिकित्सक अश्वनी कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या पी.डब्लू.6 उपनिरीक्षक राजेश कुमार मौर्या व अभियोजन साक्षी संख्या पी.डब्लू. 7 चोटहिल पुलिस कर्मी हे०कां० नसरूद्दीन की मुख्य परीक्षा व साक्ष्य शपथ पत्र तथा जिरह प्रस्तुत है।

22. अभियोजन साक्षी संख्या पी.डब्लू.1 निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह द्वारा फर्द बरामदगी को लेखबद्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा कागज संख्या–5क/1 ता 5क/6, दिनाँकित–05.03.2021 की पुष्टि कर प्रदर्श क–1 के रूप में होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह कथन किया गया कि पैरोकार थाना कोतवाली बांसी, कां० श्रवण कुमार द्वारा एक सफेद कपड़े में शील पैक पोटली व एक सफेद प्लास्टिक का डिब्बा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कपड़े में शील पैक पोटली के ऊपर एक अदद रिवाल्वर 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व 3 अदद खोखा कारतूस 32 बोर सम्बन्धित मु०अ०सं०–46/2021, धारा–307 भा.दं.सं. व धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर संजय उर्फ भेल्लर लिखा हुआ है, जिस पर साक्षी का नाम भी लिखा हुआ है और उसके ऊपर बने अस्पष्ट हस्ताक्षर दिनाँकित–05.03.2021 को साक्षी द्वारा अपना हस्तलेख व हस्ताक्षर बताया गया। पोटली पूर्णतया सील पैक दुरूस्त पायी गयी। न्यायालय के आदेश से पोटली खोली गयी, जिसमें एक अदद रिवाल्वर 32 बोर लोहे का जिसमें लकड़ी का बट लगा हुआ, प्राप्त हुआ। जिसे देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि यह वही रिवाल्वर है, जो मुठभेढ के समय संजय उर्फ भेल्लर से बरामद हुआ था और इसी से संजय उर्फ भेल्लर द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर भी किया गया था। वह इसकी पुष्टि करता है। कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श–1** व रिवाल्वर पर **वस्तु प्रदर्श 2** डाला गया तथा बरामद तीन खोखा कारतूस जिस पर 0.32SAWLKF लिखा हुआ है। साक्षी द्वारा इसकी भी पुष्टि की गयी। इस पर **वस्तु प्रदर्श 3,4,5** व जिन्दा कारतूस पर भी 32 SAWLKF लिखा हुआ है। साक्षी द्वारा इसकी भी मुठभेड़ के दिन बरामद करने की पुष्टि की गयी, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–6** डाला गया। प्लास्टिक के डिब्बे के ऊपर मु०अ०सं०–46/2021 लिखा हुआ है। डिब्बे को खोलने के बाद उसके अन्दर से सैमसंग सादा व रंग काला व नीला एक अदद मोबाइल प्राप्त हुई। मोबाइल खोलने पर उसके

अन्दर एनसेल का एक अदद सिम लगा हुआ तथा सैमसंग की बैटरी लगी हुई है, परन्तु बैटरी डिस्चार्ज है। मोबाइल को देखकर साक्षी द्वारा बताया गया कि यह मोबाइल बदमाश संजय उर्फ भेल्लर से मुठभेड़ के दौरान बरामद हुआ था। इसकी वह पुष्टि करता है। प्लास्टिक के डिब्बे पर **वस्तु प्रदर्श 7** तथा मोबाइल पर **वस्तु प्रदर्श 8** डाला गया।इसी क्रम में उनके द्वारा यह कथन किया गया कि कुछ देर बाद एफ.एस.एल. की टीम को घटना स्थल पर आने के लिए एस.एच.ओ. बांसी द्वारा जरिए टेलीफोन अवगत कराया गया। कुछ देर पश्चात एफ.एस.एल. की टीम मौके पर आ गयी और उनके द्वारा आवश्यक व वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

जबकि घटना में प्रयुक्त असलहे के सन्दर्भ में किसी प्रकार की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जैसा कि उसके द्वारा बयानों और फर्द बरामदगी कागज संख्या–5क/1 ता 5क/6, दिनाँकित–05.03.2021, प्रदर्श क–1 जी.डी.संख्या–8 में उल्लिखित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट एक साक्ष्य संकलन हो सकता था कि अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर द्वारा असलहे से ही पुलिस टीम पर फायर करके दो पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया तथा अभियुक्त द्वारा असलहा चलाने की स्थिति भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु था। बैलिस्टिक रिपोर्ट व विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की कोई रिपोर्ट अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त हथियार वहीं हथियार था, जिसके द्वारा अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर द्वारा समस्त पुलिस पार्टी पर अपने बचाव के क्रम में दो पुलिस कर्मियों को घायल किया गया है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक व्यवस्था **बृजेश मवी बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिनाँकित–03.07.2012 ए.आई.आर. 2012 एस.सी.** के मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट न मंगाये जाने के सम्बन्ध में यह मत अवधारित किया है कि "The live and fired cartridges alongwith the bullets recovered from the place of occurrence and also the bullets recovered from the dead body in the course of post mortem were sent to the FSL Rohini. The report has been exhibited as Ex. PW–21/A. The said report is dated 28.02.2002, i.e. before the recovery of the 380 calibre revolver. After the recovery of Report on and empty) as well as the four bullets recovered from the place of occurrence was sent to the CFSL Chandigarh and is covered by the report of PW 20 dated 28.11.2003 (Ex.PW–20/B). That apart, in Ex. PW–20/B it is recorded that three out of the four bullets (recovered from the place of occurrence) were fired from the recovered weapon. The said bullets were not sent for serological examination to establish that the three bullets fired from the recovered weapon had entered and exited from the body of the deceased. In such a situation a lingering doubt remains as to whether the prosecution in the present case has succeeded in proving the charge against the accused–appellant beyond all reasonable doubt." एक अन्य विधि व्यवस्था **अब्दुल वहाब अब्दुल मजीद बलोच बनाम गुजरात राज्य, दिनाँकित–23.03.2009 क्रिमीनल अपील संख्या–1507/2007** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एफ.एस.एल. की रिपोर्ट को मामले में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के मामले में एफ.एस.एल. रिपोर्ट न होने से यह मामले को संदेहात्मक बनाता है।

24. इस सम्बन्ध में चिकित्सक साक्षी **पी.डब्लू.5** अश्वनी कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "फायर आर्म लगभग 10 से 15 फीट की दूरी से अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर पर चली होगी, जिससे गोली आर–पार हो गयी थी।" तथा आगे बयान दिया कि नसरूद्दीन व शशांक

सिंह को फायर आर्म के चलने की दूरी 6–7 फीट हो सकती है।" चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू.5 केवल चोटों के सम्बन्ध में अपनी राय दे सकते हैं, गोली कितनी दूरी से चली है, इसकी राय नहीं दे सकते है। यह चिकित्सक साक्षी मात्र चोटों का विशेषज्ञ हो सकता है, न कि हथियारों का। इस साक्षी ने कैसे हथियारों की स्थिति को बता दिया यह संदेह से परे है। फर्द बरामदगी कागज संख्या–5क/1 ता 5क/6, दिनाँकित–05.03.2021 प्रदर्श क–1 में अंकित है कि पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर व घायल पुलिसकर्मी नसरूद्दीन व शशांक सिंह का मौके पर ही प्राथमिक उपचार (First Aid) किया गया, लेकिन प्रतिपरीक्षा में चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू.5 अश्वनी कुमार ने इस तथ्य से साफ इन्कार किया कि चोटहिल अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर तथा घायल पुलिस कर्मी नसरूद्दीन व शशांक सिंह का कोई प्राथमिक उपचार नहीं हुआ था, उसके द्वारा ही सबसे पहले प्राथमिक उपचार किया गया। यह बात संदेह उत्पन्न कर रही है। प्रपत्र कागज संख्या–8क नक्शा नजरी, प्रदर्श क–7, दिनाँकित–05.03.2021 में स्थान A से स्थान C की दूरी दस मीटर है जहाँ से अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर को पकड़ा गया तथा दौड़ाकर अभियुक्त को पकड़ा गया वहीं से सौ मीटर है तथा कुल 12 पुलिस कर्मी है। यह बात संदेह पैदा करती है कि पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त संजय उर्फ भेल्लर को जानबूझकर पीछा करते हुए पैर में गोली मारी गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में मौके पर तुरंत एस.एच.ओ. बांसी द्वारा एफ.एस.एल. की टीम को फोन से घटना के बारे में अवगत कराया गया तथा कुछ देर बाद एफ.एस.एल. की टीम मौके पर आ भी गयी, जबकि उत्तर प्रदेश एफ.एस.एल., लखनऊ में है। इतनी जल्दी कैसे घटना स्थल पर पहुँच गयी यह भी मामले को संदिग्ध बना रहा है। यदि एफ.एस.एल. की टीम मौके वारदात पर पहुँच गयी तो उसकी रिपोर्ट अभियोजन द्वारा क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन हो सकता था। इस प्रकार यह पूरी अभियोजन कथानक को संदेहाप्रस्द बना रही है।

25. अभियोजन द्वारा अपनी ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य से आरोपी संजय उर्फ भेल्लर के विरुद्ध आरोप धारा–307 भा.दं.सं. व आयुध अधिनियम की धारा–3/25 युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है और आरोपी संजय उर्फ भेल्लर संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आरोपी संजय उर्फ भेल्लर पुत्र लडड्न, आरोप धारा–307 भा.दं.सं. व आयुध अधिनियम की धारा–3/25, सत्र परीक्षण संख्या–792/2021, थाना कोतवाली बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में दोषमुक्त किया जाता है। दोषमुक्त जिला कारागार में निरुद्ध हैं, इसलिए रिहाई परवाना अविलम्ब तैयार कर जिला कारागार, सिद्धार्थनगर भेजा जाए। यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे इस मामले में रिहा किया जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–20.08.2024

(सत्य प्रकाश आर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय बांसी, सिद्धार्थनगर।
जे.ओ. कोड यू.पी. 1835

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक–20.08.2024

(सत्य प्रकाश आर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय बांसी, सिद्धार्थनगर।
जे.ओ. कोड यू.पी. 1835